झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

732/वि०
14/03/2024

संकल्प

विषय : झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नियम 220 के अनुसार राज्य सरकार की महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का प्रावधान है ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के भाँति केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमत है, तद्नुसार वित्त विभागीय संकल्प संख्या 551/वि दिनांक 01.03.2007 एवं संकल्प ज्ञापांक 1997/वि॰ दिनांक 01.07.2010 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी महिला कर्मियों के मातृत्व अवकाश की अधिसीमा में वृद्धि की गई है एवं पुरूष कर्मियों के लिए पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है ।

2. षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 13018/2/2008-Estt.(L) दिनांक 11.09.2008 के द्वारा केन्द्र सरकार के महिला कर्मियों के लिए समस्त सेवाकाल में दो अवयस्क संतानों की देखभाल हेतु कुल 730 दिनों की ''शिशु देखभाल अवकाश'' का प्रावधान किया गया है। एकल पुरूष कर्मियों के लिए भी उक्त सुविधा भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 11020/01/2017-Estt.(L) दिनांक 30.08.2019 के द्वारा प्रदान की गयी है ।

3. केन्द्र सरकार के उक्त प्रावधान एवं राज्य की महिला सरकारी कर्मियों द्वारा लम्बे समय से केन्द्र सरकार के अनुरूप ''शिशु देखभाल अवकाश'' स्वीकृत किये जाने की मांग के मद्देनज़र राज्य की महिला सरकारी कर्मियों को ''शिशु देखभाल अवकाश'' अनुमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी अवधि, पात्रता एवं शर्त्तें निम्नवत् होंगी :-

(i) अवयस्क संतान (18 वर्ष से कम आयु) वाली महिला कर्मचारियों को, उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान, केवल दो संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन-पोषण या देखभाल के लिए, दो वर्ष (यानि 730 दिन) की शिशु देखभाल अवकाश, छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी ।

(ii) निःशक्त बच्चों के मामलों में उपर्युक्त उम्र संबंधी सीमा लागू नहीं किया जाएगा ।

(iii) एकल पुरूष अभिभावक, जिसमें अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा सम्मिलित है, को भी उपर्युक्त सुविधा अनुमान्य की जायेगी ।

(iv) शिशु देखभाल अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी और उसी प्रकार से मंजूर की जायेगी ।

(v) शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में, मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना, कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा ।

(vi) शिशु देखभाल अवकाश 18 वर्ष से कम आयु के केवल दो जीवित संतानों के लिए अनुमान्य होगी ।

(vii) शिशु देखभाल अवकाशएक कैलेंडर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं मंजूर नहीं की जाएगी, जो प्रत्येक बार 15 दिनों से कम के लिए मंजूर नहीं की जायेगी ।

(viii) इस छुट्टी के दौरान पड़ने वाले शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित छुट्टियाँ भी शिशु देखभाल अवकाश में शामिल की जाएगी ।

(ix) शिशु देखभाल अवकाश के साथ कोई भी अन्य देय छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, किंतु शिशु देखभाल अवकाश के क्रम में मांगी गई कोई अन्य अवकाश सरकारी चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो, अनुरोध पर मंजूर की जा सकेगी ।

(x) शिशु देखभाल अवकाश साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी, सिवाय कतिपय अत्यंत कठिन परिस्थितियों की दशा में, जहाँ छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी का परिवीक्षार्थी की शिशु

देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से समाधान हो जाय। इसे भी सुनिशिचत किया जाएगा कि परिवीक्षा के दौरान इस अवकाश की अवधि न्यूनतम हो । इस अवकाश से परिवीक्षा अवधि विलम्बित होगी ।

(xi) इस अवकाश के दौरान महिला/एकल पुरूष कर्मचारी को वह छुट्टी वेतन प्राप्त होगा, जो छुट्टी पर प्रस्थान करने के ठीक पहले प्राप्त कर रही/रहा हो ।

(xii) संबंधित महिला/एकल पुरूष कर्मचारी के छुट्टी लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी शिशु देखभाल अवकाश मंजूर की जा सकेगी ।

(xiii) शिशु देखभाल अवकाश, छुट्टी लेखे में विकलित नहीं की जायेगी ।

(xiv) शिशु देखभाल अवकाश के लिए छुट्टी लेखा, संलग्न विहित प्रपत्र में संधारित किया जाएगा और इसे संबंधित महिला/एकल पुरूष सरकारी कर्मी की सेवापुस्त के साथ रखा जायेगा ।

4. झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नियम 220 के बाद नया नियम 220(A) ''शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave)'' के रूप में अतः स्थापित किया जायेगा ।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 06.03.2024 की बैठक में मद संख्या 11 में इसकी स्वीकृति दी गयी है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

13/03/24.

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :- 15/एस-04(छुट्टी)-01/2014...732/वि० राँची, दिनांक 14/03/2024

प्रतिलिपिः- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय

आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/ पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने के निमित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/03/24
(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :-15/एस-04(छुट्टी)-01/2014..732/वि० राँची, दिनांक 14/03/2024

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/03/24
(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक :-15/एस-04(छुट्टी)-01/2014..732/वि० राँची, दिनांक 14/03/2024

प्रतिलिपिः- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

13/03/24
(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

<u>Performa for maintaining Child Care Leave Account</u>

Period of Child Care Leave Taken		Balance of Child Care Leave Taken		Signature and designation of Head of Office/Certifying Officer
From	To	Balance	Date	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

17